निदेशालय तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एंव औद्योगिक प्रशिक्षण, हिमाचल प्रदेश, सुन्दरनगर।

हिमाचल प्रदेश में स्थित राजकीय आई0टी0आई0 में विधवाओं के लिए प्रवेश बारे सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि तकनीकी शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (I.T.I.) में हिमाचल प्रदेश की 45 वर्ष से कम उम्र की विधवा महिलाओं के लिए चयनित 11 व्यवसायों में प्रवेश हेतु सीटें आरक्षित की गई हैं, जिसके अंतर्गत सत्र **2020-2021** में 200 महिलाओं को प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश हेतु चयनित व्यवसायों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:

List of 10 Identified Trades with qualification and Duration

Sr. No.	Course Name	Qualification Required	Course Duration
1.	Draughtsman (Civil)	Passed 10 th Class under 10+2 System of education with Science and Matehmatics or its equivalent	2 Year
2.	Electrician	As above	2 Year
3.	Basic Cosmetology	Passed 10 th Class under 10+2 System of education	1 Year
4.	Computer Operator and Programming Assistant	As above	1 Year
5.	Dress Making	As above	1 Year
6.	Fashion Design& Technology	As above	1 Year
7.	Sewing Technology	As above	1 Year
8.	Stenography & Secretarial Assistant (English)	As above	1 Year
9.	Stenography & Secretarial Assistant (Hindi)	As above	1 Year
10.	Surface Ornamentation Techniques (Embroidery)	As above	1 Year

नोटः सर्वेयर व्यवसाय सत्र 2020-21 में प्रवेश हेत् उपलब्ध नहीं है।

- आवेदन प्रपत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित किसी भी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं या विभागीय पोर्टल http://techedu.hp.gov.in/ से प्राप्त कर सकते हैं।
- व्यवसाय एवं कितनी सीटें किस संस्थान में उपलब्ध हैं का ब्यौरा किसी भी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं या विभागीय पोर्टल http://techedu.hp.gov.in/ से प्राप्त कर सकते हैं।
- आवेदन प्रपत्र के साथ दसवीं कक्षा के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि, बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि, पती की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं पती की मृत्यु के बाद पुनः शादी नहीं की है का शपथ पत्र (Affidavit)।
- > आवेदन शुल्क के लिए समान्य वर्ग रु॰ 350/- एस॰ सी॰, एस॰ टी॰ एवं ओ॰ बी॰ सी॰ रु॰ 250/- का डिमांड ड्राफ्ट The Director, Technical Education, Vocational & Industrial Training, Himachal Pradesh के पक्ष में बनायें जोकि सुंदरनगर में देय हो।
- एस०सी०, एस०टी० एवं ओ०बी०सी० प्रमाण पत्र की वैध सत्यापित प्रतिलिपि लगाना सुनिश्चित करें । पात्र अभ्यार्थी अपने प्रपत्र पूर्ण रूप से भरकर एवं अपेक्षित दस्तावेजों को संलिगत कर हिमाचल प्रदेश के किसी भी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 20-03-2020 तक जमा करवाना सुनिश्चित करें।

xxx निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एंव औद्योगिक प्रशिक्षण, हिमाचल प्रदेश सुन्दरनगर।